संख्या -06/2022 /2595 ई-2/तेरह-2021-480290

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषय- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि. , आसवनी, गीडा, जनपद गोरखपुर को शीरे पर आधारित 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के प्लान्ट को शीरे के साथ-साथ अनाज (ग्रेन) से भी ई.एन.ए. उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : जी -102/ दो-प्रा.डी.-126 दिनांक 31-12-2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग ,उ.प्र.शासन की अध्यक्षता गठित समिति द्वारा लिए गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त संख्या:-36/ई-2/तेरह-2022-480290 दिनांक 05-01-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्व हित में में मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि., आसवनी, गीडा, जनपद गोरखपुर की अधिष्ठापित क्षमता 300 कि.ली. प्रतिदिन में से 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के शीरे पर आधारित वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट को शीरे के साथ-साथ अनाज (ग्रेन) से भी ई.एन.ए. उत्पादन उत्पादन किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है कि :-

(1) आसवनी में स्थापित 200 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता के शीरे पर आधारित वाश टू ई.एन.ए. प्लान्ट को शीरे के साथ-साथ अनाज पर प्लान्ट चलाये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रदूषण भार में वृद्धि नहीं का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा आसवनी द्वारा समस्त आवश्यक पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक शर्तों का पालन किया जायेगा।

(2) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव , उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(3) आसवनी द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग पैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।'

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।